न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, RAS

पत्रावली संख्या : 102/18 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2018/00350

अनवान्

1. श्री राहुल बविलायत प्रेमलाल पिता गेरीया कीर निवासी धुणीमाता तह. मावली।
2. पुनम बविलायत प्रेमचन्द्र पिता गेरीया कीर निवासी धुणीमाता तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री जगदीश पिता गेरीया कीर निवासी धुणीमाता तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 16.12.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगणों के विरूद्व आप न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का पेश कर दिया है जो ठोस आधार पर होकर प्रार्थीया को अवश्य ही सफलता मिलेगी।
2. यह कि मौजा धुणीमाता पटवार क्षेत्र नाहरमगरा तह. मावली की आराजी नम्बर 2048, 2049, 2050, 2051 किता 4 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नाथु पन्ना गेरीया पिता डालु 3/4 हिस्सा शंकरलाल, राजु पिता भगा किर के नाम 1/4 हिस्से अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।
3. यह कि प्रार्थीगण के खानदान का सजरा निम्न हैं :–

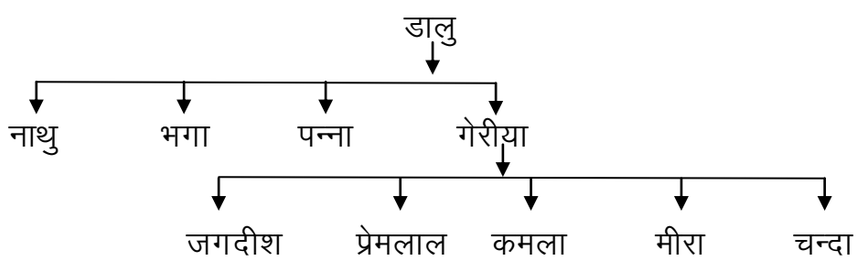

4. यह कि प्रार्थना पत्र में उक्त सजरे अनुसार गेरीया की मृत्यु हो चुकी है जिसका इस आराजीयात में 1/4 हिस्सा है गेरीया का नाम कमी नहीं खुला है और रेवेन्यु रेकार्ड में गेरिया का नाम दर्ज हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.14 15:30:46 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि उक्त सजरे अनुसार गेरीया के जगदीश, प्रेमलाल, कमला, मीरा, चन्द्रा वारीसान है एवं गेरीया के बडे लडके जगदीश के राहुल व पुनम जो नाबालिग है एवं वर्तमान में अपने अंकल चाचा के संरक्षण में रह रहे है क्योंकि जगदीश की पत्नी डालीबाई का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए वह शराब पीकर इधर उधर गुमता रहता है पत्नी की मृत्यु होने से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है इसलिए वह अपने बच्चों का पालन पोषण उनके चाचा प्रेमलाल कर रहे हैं। उक्त आराजीयात जगदीश की खरीद शुदा नहीं होकर जगदीश को उसके पिता गेरीया से मिली है इस तरह उक्त सम्पति पैतृक सम्पति हैं।
6. यह कि उक्त सम्पति में गेरीया का 1/4 हिस्सा है एवं चूंकि गेरीया की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिसान विपक्षी जगदीश व उसके भाई प्रेमलाल, कमला, मीरा, चन्दा है इस तरह गेरीया का 1/4 हिस्से में से जगदीश का केवल 1/20 हिस्सा ही आ रहा है एवं चूंकि यह सम्पति मौरूसी है इस कारण राहुल व पुनम प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व अधिकार है जगदीश के साथ राहुल व पुनम का बनता है इस तरह जगदीश के 1/20 हिस्से में से दो हिस्से राहुल व पुनम का बाई बर्थ हिस्सा हैं। 1/20 हिस्से में से जगदीश का केवल तीसरा हिस्सा ही बनता हैं।
7. यह कि वर्तमान में रेवेन्यु रेकार्ड में उक्त आराजीयात का 1/4 हिस्सा गेरीया के नाम पर ही है जबकि गेरीया का स्वर्गवास हो चुका है गेरीया को 1/4 हिस्से में गेरीया के वारिस जगदीश, प्रेमलाल, कमला, मीरा, चन्दा के नाम पर किया जावे तथा जगदीश के 1/20 हिस्से में से दो हिस्से का हम प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।
8. यह कि चूंकि विपक्षी जगदीश शराब के नशें में रहता है तथा मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है तथा भूमाफिया लोग उसे किसी भी समय जगदीश विपक्षी सं. 1 से विक्रय, दान या अन्य प्रकार से जमीन का ट्रान्सफर करवा सकते हैं।
9. यह कि प्रार्थीगण का प्राईमाफैसी केस है हम प्रार्थीगण नाबालिग है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा हमारी माता जी का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा वर्तमान हमारा पालन–पोषण भी हमारे चाचा प्रेमलाल कर रहे है उक्त आराजीयात का जन्म से ही हमारा अधिकार है। उक्त जमीन विक्रय होने पर हमारे भरण पोषण का कोई जरिया नहीं रहेगा एवं हमद र–दर भटकते रहेगे। हमारे भरण पोषण का एक मात्र यही साधन हैं। इस तरह सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दु भी हमारे पक्ष में हैं।
10. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 14.07.2018 को पैदा हुआ जब विपक्षी सं. 1 ने वर्णित आराजीयात को भूमि को विक्रय हस्तान्[illegible]रने की धमकी दी व भूमि दलालों को लाकर उक्त आराजीयात [illegible] हुआ व पैदा होकर निरन्तर जारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.14 15:30:46 IST
Reason: SelfAttested

11. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगणों के विरूद्व निम्न आशय इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का अधिकारी है कि विपक्षी उक्त आराजीयात का किसी भी प्रकार से रहन, बैह, बक्षीस, ट्रान्सफर नहीं करे, न प्रार्थीगण के हिस्से में कोई दखलन्दाजी करें, प्रार्थीगण को अपने हिस्से की आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे इसमें कोई रूकावट पैदा नहीं करे उक्त कार्य न तो विपक्षी स्वयं करे, न ही अपने नौकर चौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें। मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।
12. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।
13. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
14. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में नाथु, पन्ना, गेरिया पिता डालु के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रकरण में गेरिया की मृत्यु हो चुकी हैं जिसके वारिस जगदीश, प्रेमलाल, कमला, मीरा, चन्दा हैं। प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 जगदीश के पुत्र हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं होकर गेरिया के नाम दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.14 15:30:46 IST
Reason: SelfAttested

15. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के दादा गेरिया के नाम पर दर्ज हैं। गेरिया की मृत्यु हो चुकी हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में गेरिया के नाम दर्ज है जो विरासत से गेरिया के वारिसों के नाम दर्ज होनी हैं। विपक्षी सं. 1 जगदीश प्रार्थीगण का पिता हैं, जिसके नाम भी भूमि विरासत से दर्ज होना शेष हैं। खातेदारी अधिकार सम्बन्धित बिन्दू इस प्रकरण में तय नहीं किये जा सकते हैं।

16. प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं हैं। प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता है जबकि विपक्षी सं. 1 भी प्रार्थनाग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विरासत से भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज होनी शेष हैं। पत्रावली में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो समस्त सहखातेदारों को भारी असुविधा होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुवे हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.14 15:30:46 IST
Reason: SelfAttested